कार्यालय पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नेरट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-17.12.2024

विषयः- विभिन्न मंदिरों में की गई चोरी की घटना में संलिप्त अभियुक्त रमेश सेठ को थाना फूलपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की माल गलाकर बनायें गए 04 अदद बार (1216 ग्राम सफेद धातु) व घटना में प्रयुक्त स्पेलेंण्डर प्लस बरामद ।

दिनांक 24/25-10-2024 की रात्रि में थाना फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुंआर बाजार स्थित प्राचीन काली माता मन्दिर से अज्ञात चोरों द्वारा माता का मुकुट, मुखौटा, नथूनी व अन्य आभूषण चुरा लिया गया था । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 287/2024 धारा 305 डी, 331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

पुलिस उपायुक्त गोमती जोन व अपर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन द्वारा घटना का शीघ्र अनावरण हेतु सहायक पुलिस आयुक्त पिण्डरा के नेतृत्व में टीम गठित कर थाना प्रभारी फूलपुर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 17.12.2024 को थाना फूलपुर पुलिस द्वारा सुरागरसी पतारसी व इलेक्ट्रानिक/भौतिक साक्ष्य संकलित करते हुए घटना में सलिप्त प्रकाश में आये अभियुक्त रमेश सेठ पुत्र स्व0 जगरदेव, नि0 बरही नेवादा, थाना फूलपुर, जनपद वाराणसी उम्र करीब 52 वर्ष को गिरफ्तार कर मन्दिरों से चोरी किए गये आभूषण गलाकर बनायें गए 04 अदद बार जिसकी वजन 1216 ग्राम (सफेद धातु) व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 वाहन UP65ED5218 स्पेलेन्डर प्लस बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त रमेश सेठ उपरोक्त ने बताया कि 1.राजकुमार बेनवंशी उर्फ जिल्लू 2. अशोक बनवासी 3. राजू बनवासी 4.सोनू चार लोगो का एक गिरोह है। ये लोग मिलकर खासकर मन्दिरों मे चोरी करते है और मौका देखकर कभी कभार घरों मे भी चोरी कर लेते है। इन लोगों के द्वारा जो चोरी का सामान लाया जाता है वह सामान मैं और मेरा साथी बंशीलाल गलाकर उसको बार बनाकर अलग-अलग दुकानों और लोगों को बेच देते है ताकि चोरी का सामान किसी को भी पता नहीं चल सके और हम लोगों का काम भी हो जाए। ऐसे ही कई मंदिरों में पिछले 2 या 3 महीने से ये लोग चोरी करके लाते थे जिसमें कुछ सामान मुझे और कुछ बंशीलाल को देते थे। जिस रात को ये सब चोरी करके सामान को लाते थे उसी दिन तुरंत हम लोग पूरा सामान मुकुट, मुखौटा, फरसा आदि गलाकर बार बना देते थे। बंशीलाल सहित मेरे सभी साथी लगभग पकड़े जा चुके है और मेरा नाम लेते

इसीलिये आज सारे सामान को लेकर मैं जौनपुर या सुल्तानपुर में बेचने के लिये निकला था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। पकडे गये व्यक्ति से चलाये जा रहे वाहन स्वामी के सम्बन्ध में पूछ ताछ किया गया तो बताया कि यह गाड़ी -UP-65-ED-5218 जो कि राजकुमार बेनवंशी की है। इसी गाड़ी से यह सभी लोग चोरी करने जाया करते थे।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 287/2024 धारा 305 डी, 331(4) बीएनएस थाना फूलपुर वाराणसी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-</u>
1.रमेश सेठ पुत्र स्व0 जगरदेव, नि0 बरही नेवादा, थाना फूलपुर, जनपद वाराणसी उम्र करीब 52 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण-</u> सम्बन्धित मन्दिरों से चोरी गये आभुषण गलाकर 4 अदद बार में कुल 1216 ग्राम सफेद धातु व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 वाहन UP65ED5218 स्पेलेन्डर प्लस बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-</u>
01. उ0नि0 आयुष कुमार, चौकी प्रभारी कठिराँव थाना फूलपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 जितेन्द्र यादव थाना फूलपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का0 अक्षय यादव, थाना फूलपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0 राकेश सरोज थाना फूलपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, गोमती ज़ोन
कमिश्नरेट वाराणसी